



52/11

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव धेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4440 / 05 / 76 / एक / 2016-17  
सेवा में,

दिनांक : 16 दिसम्बर 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-फैजाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,  
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

| धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में) |                 |                           |         |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|---------|
| बैंक का नाम                    | खाता संख्या     | आईएफएससी कोड              | धनराशि  |
| एक्सिस बैंक                    | 914010006176029 | IFSC Code<br>UTIB00000377 | 163.754 |

(धनराशि लाख रू० में)

| क्र० सं० | जनपद का नाम | अल्पसंख्यक/मलिन   | निकाय का नाम   | बस्ती/वार्ड का नाम   | प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण |
|----------|-------------|-------------------|----------------|--|---------------------------------|
| 1        | फैजाबाद     | मलिन बस्ती-83 बजट | न०पा०प० रूदौली | वार्ड नं० 01 नरियापार में मोहम्मद अली के घर से महताब के घर के सामने तक, जाहिद के घर से महताब के घर के पीछे व एकलाक के घर तक, जाहिद के घर से मो०अली के घर तक, मो० अलीन के घर से फर्रुक के घर तक, खुरशैद अहमद के घर से नसीम के घर तक, मो० रसीद के बगल से डा० आजाद के घर तक, मुसीर शाहब के घर से मो० हनीफ व गुड्डू के घर तक, मो० सइद के घर से मो० हनीफ के घर के पीछे तक, मो० इमतिआज के घर से सोलिंग तक, बदलू के घर से तालाब तक, एकलाख के घर से बेकरी तक, सय्यदसोहेल मो० के घर से हाजी शाहब व तालाब तक, जगन्नाथ के घर से मो० नसीम के घर तक, सब्बो के घर से अस्लम के घर तक, पिन्कू के घर से अब्दुल सलाम व एहसार के घर तक, पिन्कू के घर से वसीम अहमद के घर तक एवं माजिद अली के घर से नवसाद के घर तक पेवर इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। | 87.008                          |
| 2        | फैजाबाद     | मलिन बस्ती-83 बजट | न०पा०प० रूदौली | वार्ड नं० 01 नरियापार में जसकरन के घर से रंगीलाल के घर तक, परशुराम के घर से सुखराम के घर तक, रामसुफल के घर से दिनेश के घर तक, स्व० मुन्नी लाल, बनवारी व जगन्नाथ के घर से रामकेतार के घर तक, पहाड़ी के घर से मोती लाल व जगेश्वर के घर तक, जगेश्वर व रामजीयावन के घर से पूर्णमासी के घर तक, जगन्नाथ के घर से जुंगीलाल व रामकुमार के घर तक, मयाराम के घर से धनश्याम के घर तक, रामजानकी के घर से कृष्ण मोहन के घर तक एवं रामतिलक के घर से सीताराम व परशुराम व रघुराज के घर तक पेवर इण्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।  | 46.429                          |
| 3        | फैजाबाद     | मलिन बस्ती-83 बजट | न०पा०प० रूदौली | वार्ड नं० 04 नयागुंज गौधी नगर में रामदेव के घर से पूर्णमासी के घर तक एवं रामू के घर से मेन रोड तक इण्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।   | 8.471                           |



52/2

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव घेताना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

| क्र० सं० | जनपद का नाम | अल्पसंख्यक/मलिन   | निकाय का नाम   | बस्ती/वार्ड का नाम   | प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण |
|----------|-------------|-------------------|----------------|--|---------------------------------|
| 4        | फैजाबाद     | मलिन बस्ती-83 बजट | न0पा0प0 रुदौली | वार्ड नं० 05 काशीपुर हरिजन बस्ती में ज्वाला के घर से पलिया तक, जुग्गी लाल के घर से रामरूप के घर तक, लालता के घर से विजय के घर तक, पटेसर के घर से घिराऊ के घर तक, दयाराम के घर से घिराऊ के घर तक, दयाराम के घर से जगदीश के घर तक एवं रामरूप के घर से मैनु के घर तक इण्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। | 15.387                          |
| 5        | फैजाबाद     | मलिन बस्ती-83 बजट | न0पा0प0 रुदौली | वार्ड नं० 06 वजीरगंज हरिजन बस्ती में अली अहमद के घर से इरसाद अहमद के घर तक, रामलखन के घर से कय्यूम के घर तक एवं रामतेज के घर से आगे तक इण्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।  | 6.459                           |
|          | योग         |                   |                |  | 163.754                         |

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूबा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



521/3

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक